अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 259/2024

अनवानः—

1. बनवारीलाल पुत्र भेराराम जाति बावरी निवासी नजवागल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. कुलदीप कौर पत्नी सरजीत सिह
2. काकासिह पुत्र करमसिह
3. गुरजन्टसिह पुत्र करमसिह
4. जगसीरसिह पुत्र करमसिह

जाति मजहबी निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. नवीन पुत्री सरजीत सिह
6. भगवानाराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी पाटोदा तहसील व जिला झुंझनू।
7. मीनू पुत्री सरजीत सिंह जाति मजहबी निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. रानी पत्नी मिठूराम जाति बाल्मिकी निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर उभयपक्ष के मध्य खाता व लगान निम्नानुसार अलग कायम किये जाते है।

वादी बनवारी लाल पुत्र भेराराम जाति बावरी को प्राप्त आराजीः— चक 28 एनजीसी के प0न0 173/255 मु0 29 किला न0 3/.078, 4, 5/.051, प0 दिशा, 6/1/.051 प0दिशा किला न0 7/.240, 8/.015 पूर्वी दिशा, 15/1/.025 प0दिशा कुंल .713 है0 **शेष खाता प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से** कुलदीप कौर पत्नी सरजीत सिंह का 157/3043, गुरजंट सिह का 622/3043 हिस्सा, जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह का 622/3043 हिस्सा, नवीन पुत्री सरजीत सिंह का 138/3043 हिस्सा प0न0 173/254 मु0 26 किला न0 16, 21 ता 25 प0न0 174/254 मु0 25 किला न0 21 174/255 मु0 30 किला न0 1,10 प0न0 173/255 मु0 26 किला न0 5/.170, 5/2/.025, 6/.177, 6/2/.025, 15/1/.101 पूर्वी, 15/2/.013 रास्ता, 3/.175, 8/.013 कुल 3.043 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक 17/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।